

प्रधान कार्यालय,  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

कनिष्ठ अभियन्ता (वि०याँ०) से अपर सहायक  
अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर पदोन्नति  
सम्बन्धी विवरण।

चयन वर्ष 2011-12

## "टिप्पणी एवं आदेश"

कृपया घयन वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यौ०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०यौ०) के पद पर वेतनमान रू० 9300-34800, ग्रेड-पे रू० 4800, पदोन्नति हेतु गठित घयन समिति की बैठक दिनांक 30.08.2011 को आहूत की गयी थी, जिसका कार्यवृत्त (पताका-1) संलग्न है।

वर्तमान में विभागीय ढाँचे में कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यौ०) के 73 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से अपर सहायक अभियन्ता के 64 पद तथा 19 पद कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यौ०) के बनते हैं। वर्तमान में कुल 41 कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यौ०) कार्यरत हैं, जिनमें से अपर सहायक अभियन्ता पद हेतु 34 कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यौ०) पात्रता रखते हैं।

34 कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यौ०) में से बैठक में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्मिकों को पदोन्नति हेतु घयनित किया गया है :-


|                |                      |   |           |
|----------------|----------------------|---|-----------|
| 1.             | सामान्य वर्ग         | - | 15        |
| 2.             | अनुसूचित जाति वर्ग   | - | 05        |
| 3.             | अनुसूचित जनजाति वर्ग | - | 01        |
| <b>कुल योग</b> |                      | - | <b>21</b> |


उपरोक्त 34 कार्मिकों में से कुल 21 कार्मिकों का घयन हो जाने के फलस्वरूप 34 - 21 = 13 कार्मिक शेष रह जायेंगे जिनके गो०प्रति० अप्राप्त होने के कारण घयन नहीं किया गया है।




कृपया घयन समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के क्रम में क्षेत्रों में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यौ०) की अपर सहायक अभियन्ता (वि०यौ०) के पद पर निम्नानुसार पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने समीचीन होंगे :-

1. अपर सहायक अभियन्ता (वि०यौ०) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं अपर सहायक अभियन्ताओं के कर्तव्य एवं दायित्व समान होंगे तथा एक ही जॉब चार्ट के अधीन होंगे।
2. पदोन्नत कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति/तैनाती उनके वर्तमान कार्यालय में कार्यरत स्थानीय होने के कारण इन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।
3. पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नत पद पर दिनांक 16.09.2011 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप का स्वच्छ आलेख पत्रावली के दाहिनी ओर आपके अवलोकनार्थ रखा गया है।

  
महाप्रबन्धक (सूजल/सर्वेक्षण)/मुख्य अभियन्ता (मु०)

  
अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक)

  
अनुमोदन  
  
30/8/11  
  
30/8

## "टिप्पणी एवं आदेश"

(क) कृपया घयन वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यौ०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०यौ०) के पद पर वेतनमान रु० 9300-34800, ग्रेड-पे रु० 4800, पदोन्नति हेतु गठित घयन समिति की बैठक दिनांक 30.08.2011 को आहूत की गयी थी। वर्तमान में विभागीय ढाँचे में कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यौ०) के 73 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से अपर सहायक अभियन्ता के 54 पद तथा 19 पद कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यौ०) के बनते थे। कुल 41 कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यौ०) कार्यरत हैं, जिनमें से अपर सहायक अभियन्ता पद हेतु 34 कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यौ०) पात्रता रखते थे। 34 कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यौ०) में से बैठक में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्मिकों को पदोन्नति हेतु घयनित किया गया था :-

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 1. सामान्य वर्ग         | - 15        |
| 2. अनुसूचित जाति वर्ग   | - 05        |
| 3. अनुसूचित जनजाति वर्ग | - 01        |
| <b>कुल योग</b>          | <b>- 21</b> |

उपरोक्त 34 कार्मिकों में से कुल 21 कार्मिकों का घयन हो जाने के फलस्वरूप 34 - 21 = 13 कार्मिक गो०प्रति० अप्राप्त होने के कारण घयन नहीं किये जाने के कारण अवशेष रह गये थे।

(ख) दिनांक 17.12.2011 को आहूत घयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त (पताका-1) आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। उक्त कार्यवृत्त में घयन समिति द्वारा निम्नानुसार कार्मिकों की पदोन्नति हेतु घयनित किया गया है :-

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 1. सामान्य वर्ग         | - 08        |
| 2. अनुसूचित जाति वर्ग   | - 03        |
| 3. अनुसूचित जनजाति वर्ग | - 01        |
| <b>कुल योग</b>          | <b>- 12</b> |

इस प्रकार 13-12-01 कार्मिक का गो०प्रति० प्राप्त न होने के कारण पदोन्नति हेतु अवशेष रह गया है।

कृपया घयन समिति द्वारा दिनांक 17.12.2011 दी गयी संस्तुति के क्रम में क्षेत्रों में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यौ०) की अपर सहायक अभियन्ता (वि०यौ०) के पद पर निम्नानुसार पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने समीचीन होंगे :-

1. अपर सहायक अभियन्ता (वि०यौ०) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं अपर सहायक अभियन्ताओं के कर्तव्य एवं दायित्व समान हों तथा एक ही जॉब चार्ट के अधीन होंगे।
2. पदोन्नत कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति/तैनाती उनके वर्तमान कार्यालय में कार्यरत स्थानीय होने के कारण इन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।
3. पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नत पद पर दिनांक 30.12.2011 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप का स्वच्छ, आलेख पत्रावली के दाहिनी ओर आपके अवलोकनार्थ रखा गया है।

महाप्रबन्धक (मूजल/सर्वेक्षण)/मुख्य अभियन्ता (मु०)

अधिशाली अभियन्ता (कार्मिक)

22/12

उत्तराखण्ड पेयजल निगम में कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/याँ०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) वेतनमान रू० 9300-34800 + 4800 ग्रेड-पे के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाला प्रस्ताव :-

उत्तराखण्ड शासन (पेयजल अनुभाग) की अधिसूचना संख्या 2231/नी-2(12अधि०)/2001, दिनांक 07.11.2002 (संलग्नक-1) द्वारा उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम-1975 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-86 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में यथावत् लागू है।

1. उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06-2 (92 अधि०)/2002 दिनांक 12.12.2006 (संलग्नक-2) द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. शासनादेश संख्या 764/उन्तीस(1)/2011 (33अधि०)/2007, दिनांक 24.06.2011 (संलग्नक-3) के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 अनुमोदित किये जाने के पश्चात ज्ञाप संख्या 1468/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/04, दिनांक 02.07.2011 (संलग्नक-4) के द्वारा क्षेत्रों को प्रख्यापित की गयी है।

3. वर्तमान में स्वीकृत संरचनात्मक ढाँचे में कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/याँ०) के 73 पदों के सापेक्ष पदोन्नति के 75 प्रतिशत के आधार पर उक्त सेवा विनियमावली के अनुसार अपर सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) के 54 पद सृजित किये गये हैं, जिनको डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/याँ०) से पदोन्नति कर भरित किया जाना है।

अपर सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) :-

| क्र० सं० | विवरण  | स्वीकृत पद | आरक्षण की स्थिति |                 |                  |     |
|----------|--|------------|------------------|-----------------|------------------|-----|
|          |  |            | सामान्य          | अनु० जाति (12%) | अनु० जनजाति (4%) | कुल |
| 01       | 02   | 04         | 08               | 09              | 10               |     |
|          | कनिष्ठ अभियन्ता के स्वीकृत पद                                  | 73         |                  |                 |                  |     |
| 1.       | अपर सहायक अभियन्ता के पदोन्नत पद (73 पदों का 75 प्रतिशत)       | 54         | 42               | 10              | 02               | 54  |
| 2.       | कनिष्ठ अभियन्ता की भर्ती हेतु अवशेष पद (73 पदों का 25 प्रतिशत) | 19         | 14               | 04              | 01               | 19  |
| 3.       | कार्यरत पदोन्नति के रिक्त पद                                   | 0          | 0                | 0               | 0                | 0   |
|          |  |            | 42               | 10              | 02               | 54  |

➤ डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ताओं (75 प्रतिशत कोटा) के कुल 54 पदों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के 42, अनुसूचित जाति के 10 एवं अनुसूचित जनजाति के 02 रिक्त पदों पर कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/याँ०) से अपर सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति की जानी है।

4. नियुक्ति का स्रोत :-

उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06-2 (92 अधि०)/2002 दिनांक 12.12.2006 द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासनादेश संख्या 764/उन्तीस(1)/2011 (33अधि०)/2007, दिनांक 24.06.2011 के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 अनुमोदित किये जाने के पश्चात ज्ञाप संख्या 1468/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/04, दिनांक 02.07.2011 में उल्लेखित प्रावधानानुसार।

- भर्ती - 5.(1) अपर सहायक अभियन्ता :-** अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति से मौलिक रूप से नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता में से, जिन्होंने इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी।
- (2) कनिष्ठ अभियन्ता :- सीधी भर्ती द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित इंजीनियरिंग/विद्युत/यंत्रिक में 03 वर्ष का डिप्लोमा।
- (3) सेवा में पदों पर भर्ती, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनियमावली के भाग पाँच में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

**भाग पाँच : रिक्तियों का अवधारण 14.**

नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

18. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर विनियम-15 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायें।
- (3) चयन समिति द्वारा उपविनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों में विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी किया जा सकता है।
- (4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।
6. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 के भाग-6 18(1) अनुसार अपर सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति के लिए मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी (संलग्नक-5)।

**7. चयन प्रक्रिया:-**

उल्लेखनीय है कि विभाग में वर्तमान में लागू सेवानियमावली के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नतियों ज्येष्ठता के आधार पर की जाती रहीं हैं। कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 479/XXX(2)2009, दिनांक 08.07.2009 (संलग्नक-6) में उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में "अनुपयुक्त को छोड़ते हुए 'ज्येष्ठता' एवं 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली-2009" को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रख्यापित किया गया है, जिसे प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के पृष्ठांकन संख्या 2468/उत्तराखण्ड शासन/ दिनांक 21.07.2009 द्वारा क्षेत्रों को प्रसारित किया गया है।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 में चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। विनियमावली में किये गये प्राविधान के अनुसार प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1730/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/05, दिनांक 23.07.2011 (संलग्नक-7) द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता से अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु चयन समिति का गठन किया गया है।

**8. चयन समिति:-**

चयन निम्नानुसार अधिकारियों की गठित चयन समिति द्वारा किया जाना है :-

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून    | - अध्यक्ष |
| 2. महाप्रबन्धक (प्रशासन), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून        | - सदस्य   |
| 3. महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून | - सदस्य   |
| 4. अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून   | - संयोजक  |

*(Handwritten signatures and marks)*

9. पदोन्नति हेतु रिक्त पद :-

अपर सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) के 54 पदों के सापेक्ष कोई अपर सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) कार्यरत नहीं हैं। अतः सामान्य संवर्ग में 42 अनुसूचित जाति वर्ग में 10 तथा अनुसूचित जनजाति के 02 पद इस प्रकार कुल 54 पद रिक्त हैं।

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण :-

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 के भाग-3 के विनियम-6 आरक्षण में इस बात का प्राविधान है कि अनुसूचित जातियों, जन जातियों एवं अन्य किसी श्रेणी के अभियन्ताओं के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवर्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा। वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 1144/का-2/2001 53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 (संलग्नक-8) द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए आरक्षण क्रमशः 19 एवं 4 प्रतिशत है।

इस आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक रोस्टर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 1455/कार्मिक-2/2001 दिनांक 31.08.2001 (संलग्नक-9) एवं शासनादेश सं० 87/XXX(2)/2006, दिनांक 21.01.2006 (संलग्नक-10) के अनुसार डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता से पदोन्नति हेतु सहायक अभियन्ताओं के विद्युत/यंत्रिक वर्ग में अनुसूचित जाति के कुल आरक्षित 10 पदों के सापेक्ष 10 पद रिक्त हैं तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग में रोस्टर के अनुसार पदोन्नति के 02 पदों के सापेक्ष 02 पद रिक्त हैं।

11. वरिष्ठता क्षेत्र में आने वाले कनिष्ठ अभियन्ता की पात्रता सूची:-

शासनादेश संख्या 1801/कार्मिक-2/2002, दिनांक 23.06.2003 (संलग्नक-11) में निहित प्राविधानानुसार प्रोन्नति का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर 1 से 5 रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5 तथा 5 से अधिक रिक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना परन्तु कम से कम 10 अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित किये जाने हैं। तदनुसार चयन वर्ष 2011-2012 में अपर सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) के सापेक्ष पात्र कनिष्ठ अभियन्ताओं की पात्रता सूची (संलग्नक-12) रखी गयी है। अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची (संलग्नक-13) एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची (संलग्नक-14)।

12. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 के भाग-3 भर्ती 5.(1) में अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता में से, जिन्होंने इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी तथा भाग-6 पदोन्नति 18.(2) के अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझी जाये। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए वि०/याँ० संवर्ग के अन्तर्गत पात्रता सूची में अंकित नाम के समक्ष पात्र कनिष्ठ अभियन्ताओं के पिछले 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों में की गयी प्रविष्टियों का सार पत्र (संलग्नक-15)।

13. जॉब की स्थिति :-

अनुशासनिक जॉब प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण पत्रावली।

14. कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/याँ०) की वरिष्ठता सूची अक्टूबर-2010 (संलग्नक-16)।

*(Handwritten signatures and marks)*

उत्तराखण्ड पेयजल निगम में कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/याँ०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) वेतनमान रु० 9300-34800 + 4800 ग्रेड-पे के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाला प्रस्ताव :-

उत्तराखण्ड शासन (पेयजल अनुभाग) की अधिसूचना संख्या 2231/नौ-2(12अधि०)/2001, दिनांक 07.11.2002 (संलग्नक-1) द्वारा उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम-1975 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-86 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में यथावत् लागू है।

1. उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06-2 (92 अधि०)/2002 दिनांक 12.12.2006 (संलग्नक-2) द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीकित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. शासनादेश संख्या 764/उन्तीस(1)/2011 (33अधि०)/2007, दिनांक 24.06.2011 (संलग्नक-3) के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 अनुमोदित किये जाने के पश्चात ज्ञाप संख्या 1468/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/04, दिनांक 02.07.2011 (संलग्नक-4) के द्वारा क्षेत्रों को प्रख्यापित की गयी है।

3. वर्तमान में स्वीकृत संरचनात्मक ढाँचे में कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/याँ०) के 73 पदों के सापेक्ष पदोन्नति के 75 प्रतिशत के आधार पर उक्त सेवा विनियमावली के अनुसार अपर सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) के 54 पद सृजित किये गये हैं, जिनको डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/याँ०) से पदोन्नति कर भारित किया जाना है। उक्त के क्रम में कनिष्ठ अभियन्ता से अपर सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 30.08.2011 को आहूत चयन समिति की बैठक में 21 कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/याँ०) की पदोन्नति की जा चुकी है। अपर सहायक अभियन्ताओं के अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण चयन वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत सप्लीमेन्ट्री डी०पी०सी० के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जानी है।

अपर सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) :-

| क्र० सं० | विवरण   | स्वीकृत पद | आरक्षण की स्थिति |                 |                  |     |
|----------|---|------------|------------------|-----------------|------------------|-----|
|          |   |            | सामान्य          | अनु० जाति (19%) | अनु० जनजाति (4%) | कुल |
| 01       | 02  | 04         | 08               | 09              | 10               |     |
|          | <u>कनिष्ठ अभियन्ता के स्वीकृत पद</u>                    | 73         |                  |                 |                  |     |
| 1.       | कनि०अभि० की भर्ती हेतु अयशेष पद (73 पदों का 25 प्रतिशत) | 19         | 14               | 04              | 01               | 19  |
| 2.       | अपर सहा०अभि० के पदोन्नत पद (73 पदों का 75 प्रतिशत)      | 54         | 42               | 10              | 02               | 54  |
| 3.       | कार्यरत   | 0          | 15               | 05              | 01               | 21  |
| 4.       | पदोन्नति के रिक्त पद                                    |            | 27               | 05              | 01               | 33  |

➤ डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ताओं (75 प्रतिशत कोटा) के कुल 54 पदों के सापेक्ष सामान्य संवर्ग के 42, अनुसूचित जाति के 10 एवं अनुसूचित जनजाति के 02 पदों के विरुद्ध क्रमशः सामान्य संवर्ग में 15, अनुसूचित जाति वर्ग के 05 एवं अनुसूचित जनजाति के 01 कार्मिक कार्यरत हैं, जिनमें सामान्य संवर्ग में 27, अनुसूचित जाति वर्ग के 05 एवं अनुसूचित जनजाति के 01 रिक्त पदों पर कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/याँ०) से अपर सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति की जानी है।

4. नियुक्ति का स्रोत :-

उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06-2 (92 अधि0)/2002 दिनांक 12.12.2006 द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीकृत संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासनादेश संख्या 764/उन्तीस(1)/2011 (33अधि0)/2007, दिनांक 24.06.2011 के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 अनुमोदित किये जाने के पश्चात जाप संख्या 1468/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/04, दिनांक 02.07.2011 में उल्लेखित प्राधिकानुसार।

भर्ती - 5.1) अपर सहायक अभियन्ता :- अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति ऐसे मौलिक रूप से नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता में से, जिन्होंने इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी।

(2) कनिष्ठ अभियन्ता :- सीधी भर्ती द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित इंजीनियरिंग/विद्युत/यांत्रिक में 03 वर्ष का डिप्लोमा।

(3) सेवा में पदों पर भर्ती, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनियमावली के भाग पाँच में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

भाग पाँच : रिक्तियों का अवधारण 14.

नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अन्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

18. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर विनियम-15 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के आधार पर पात्र अन्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायें।

(3) चयन समिति द्वारा उपविनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अन्यर्थियों के मामलों में विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अन्यर्थियों का साक्षात्कार भी किया जा सकता है।

(4) चयन समिति चयनित अन्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

6. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 के भाग-6 18(1) अनुसार अपर सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति के लिए मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी (संलग्नक-5)।

7. चयन प्रक्रिया:-

उल्लेखनीय है कि विभाग में वर्तमान में लागू सेवानियमावली के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नतियाँ ज्येष्ठता के आधार पर की जाती रही हैं। कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 479/XXX(2)2009, दिनांक 08.07.2009 (संलग्नक-8) में उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में "अनुपयुक्त को छोड़ते हुए 'ज्येष्ठता' एवं 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली-2009" को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रख्यापित किया गया है, जिसे प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के पृष्ठांकन संख्या 2468/उत्तराखण्ड शासन/ दिनांक 21.07.2009 द्वारा क्षेत्रों को प्रसारित किया गया है।



उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 में चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। विनियमावली में किये गये प्राविधान के अनुसार प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1730/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/05, दिनांक 23.07.2011 (संलग्नक-7) द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता से अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु चयन समिति का गठन किया गया है।

8. चयन समिति:-

चयन निम्नानुसार अधिकारियों की गठित चयन समिति द्वारा किया जाना है :-

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून    | - अध्यक्ष |
| 2. महाप्रबन्धक (प्रशासन), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून        | - सदस्य   |
| 3. महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून | - सदस्य   |
| 4. अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून   | - संयोजक  |

9. पदोन्नति हेतु रिक्त पद :-

अपर सहायक अभियन्ता (वि०/यौ०) के 54 पदों के सापेक्ष सामान्य संवर्ग में 15, अनुसूचित जाति वर्ग में 05 तथा अनुसूचित जनजाति के 01 कार्मिक कार्यरत हैं। इस प्रकार कुल सामान्य संवर्ग में 27, अनुसूचित जाति वर्ग में 05 तथा अनुसूचित जनजाति के 01 पद रिक्त हैं।

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण :-

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 के भाग-3 के विनियम-6 आरक्षण में इस बात का प्राविधान है कि अनुसूचित जातियों, जन जातियों एवं अन्य किसी श्रेणी के अभियन्ताओं के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवर्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा। वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 1144/का-2/2001 53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 (संलग्नक-8) द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए आरक्षण क्रमशः 19 एवं 4 प्रतिशत है।

इस आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक रोस्टर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 1455/कार्मिक-2/2001 दिनांक 31.08.2001 (संलग्नक-9) एवं शासनादेश सं० 87/XX(2)/2006, दिनांक 21.01.2006 (संलग्नक-10) के अनुसार डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता से पदोन्नति हेतु सहायक अभियन्ताओं के विद्युत/यॉंत्रिक वर्ग में अनुसूचित जाति के कुल आरक्षित 10 पदों के सापेक्ष 05 कार्मिक कार्यरत हैं तथा 05 पद रिक्त हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग में रोस्टर के अनुसार पदोन्नति के 02 पदों के सापेक्ष 01 कार्मिक कार्यरत है तथा 01 पद रिक्त है।

11. वरिष्ठता क्षेत्र में आने वाले कनिष्ठ अभियन्ता की पात्रता सूची:-  
शासनादेश संख्या 1801/कार्मिक-2/2002, दिनांक 23.08.2003 (संलग्नक-11) में निहित प्राविधानानुसार प्रोन्नति का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर 1 से 5 रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5 तथा 5 से अधिक रिक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना परन्तु कम से कम 10 अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित किये जाने हैं। तदनुसार चयन वर्ष 2011-2012 में अपर सहायक अभियन्ता (वि०/यौ०) के सापेक्ष पात्र कनिष्ठ अभियन्ताओं की पात्रता सूची (संलग्नक-12) रखी गयी है। अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची (संलग्नक-13) एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची (संलग्नक-14)।
12. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 के भाग-3 भर्ती 5.(1) में अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता में से, जिन्होंने इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी तथा भाग-6 पदोन्नति 18.(2) के अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझी जाये। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए वि०/यौ० सर्वग के अन्तर्गत पात्रता सूची में अंकित नाम के समक्ष पात्र कनिष्ठ अभियन्ताओं के पिछले 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों में की गयी प्रविष्टियों का सार पत्र (संलग्नक-15)।
14. जाँच की स्थिति :-  
अनुशासनिक जाँच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण पत्रावली।
15. अपर सहायक अभियन्ता (वि०/यौ०) की कार्यरत सूची (संलग्नक-16)।
16. कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/यौ०) की वरिष्ठता सूची सितम्बर-2010 (संलग्नक-17)।
17. कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/यौ०) के कुल कार्यरत कार्मिकों के सम्बन्ध में सूचना विवरण (संलग्नक-18)।

3

10

कनिष्ठ अभियन्ता (वि०याँ०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 30/08/2011 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

कनिष्ठ अभियन्ता (वि०याँ०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में गठित चयन समिति की बैठक आहूत हुई, जिसमें चयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र सं० 261/मु०अ०(मु०) गो०अधि० सामान्य/11, दिनांक 25/08/2011 द्वारा चयन समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया था, जिनमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. इं० एस०पी० सिंह, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल - अध्यक्ष निगम, देहरादून।
2. इं० राजेश्वर प्रसाद, महाप्रबन्धक (प्रशासन), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, - सदस्य देहरादून।
3. इं० वी०सी० गर्ग, महाप्रबन्धक (भूजल सर्वेक्षण), उत्तराखण्ड पेयजल - सदस्य निगम, देहरादून।
4. इं० पी०के० गौयल, अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), उत्तराखण्ड पेयजल - संयोजक निगम, देहरादून।

चयन समिति के समक्ष निम्नलिखित अभिलेखों के साथ एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया:-

1. उत्तराखण्ड शासन (पेयजल अनुभाग) की अधिसूचना संख्या 2231/नौ-2(12अधि०)/2001, दिनांक 07.11.2002।
2. उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06-2 (92 अधि०)/2002 दिनांक 12.12.2006
3. राज्य अधीन सेवाओं में पदोन्नति द्वारा ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किये जाने वाले घयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया संख्या 1801/कार्मिक-2/2002, दिनांक 23.06.2003
4. आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेश सं० 1144/का-2/2001 53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001
5. पदोन्नतियों में आरक्षण नीति के रोस्टर से सम्बन्धित शासनादेश सं० शासनादेश सं० 1455/कार्मिक-2/2001 दिनांक 31.08.2001
6. राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में लीची भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण के लिए पद आधारित रोस्टर संख्या 87/XXX(2)/2008, दिनांक 21 जनवरी, 2008
7. चयन वर्ष 2011-2012 में अपर सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के सम्भावित 54 रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र कनिष्ठ अभियन्ताओं की सामान्य सर्वग की पात्रता सूची।
8. वि०याँ० सर्वग के अन्तर्गत पात्रता सूची में अंकित नाम के समक्ष पात्र अभियन्ताओं के पिछले 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रकृति एवं अन्य सेवा विवरण।
9. पात्रता सूची में अंकित नाम के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रकृति/फोल्डर, अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अनुशासनिक जाँच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण।

3

10

30/08/11

By

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- 10. कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यॉ०) की वरिष्ठता सूची सितम्बर-2010
- 11. शासनादेश संख्या 764/उत्तीस(1)/2011 (33अधि०)/2007, दिनांक 24.06.2011 के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011
- 12. ज्ञाप संख्या 1488/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/04, दिनांक 02.07.2011
- 13. कार्यालय ज्ञाप संख्या 1730/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/05, दिनांक 23.07.2011

चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु पात्र कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यॉ०) सर्वग से सम्बन्धित संलग्न सुसंगत समस्त अभिलेखों जिसमें 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की ब्राडशीट भी सम्मिलित है, का अध्ययन किया गया। अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठता के आधार पर चयन करने के लिए समिति के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा गया। चयन के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 479/XXX(2)/2009, दिनांक 08.07.2009 के क्रमांक-3(1) से 3(6) पर उल्लेखित ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया में उल्लेखित प्राविधानों के अनुरूप उपयुक्त पात्र कार्मिकों को चयन हेतु विचार किया गया।

कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यॉ०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०यॉ०) के पद पर निम्नलिखित पात्र कनिष्ठ अभियन्ता के नामों पर विचार किया :-

- 1 (क). पात्रता सूची के सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत 42 पदों के सापेक्ष कार्यरत 23 कार्मिकों के विरुद्ध निम्नलिखित 15 कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यॉ०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०यॉ०) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई।

| क्रम सं० | जू०इ० (वि०/या०) का नाम     | पिता का नाम                |
|----------|----------------------------|----------------------------|
| 01       | 02                         | 03                         |
| 01       | श्री विनय कुमार सक्सेना    | श्री कृष्णा स्वरूप सक्सेना |
| 02       | श्री जसप्रीत सिंह ओबराय    | श्री जोगेन्द्र सिंह ओबराय  |
| 03       | श्री चमन लाल               | श्री राजा राम              |
| 04       | श्री राजवीर सिंह           | स्व० श्री गुमान सिंह       |
| 05       | श्री नवीन चन्द्र बिष्ट     | श्री प्रेमसिंह बिष्ट       |
| 06       | श्री जितेन्द्र बल्लभ शर्मा | श्री गोविन्द बल्लभ शर्मा   |
| 07       | श्री अरविन्द सिंह          | श्री लक्ष्मण सिंह          |
| 08       | श्री प्रमोद कुमार          | श्री महेश चन्द रस्तोगी     |
| 09       | श्री आशीष कुमार            | श्री ब्रह्मपाल सिंह        |
| 10       | श्री दिनेश चन्द्र          | श्री मोहन चन्द्र           |
| 11       | श्री विकास कुमार           | श्री इलमचन्द्र             |
| 12       | श्री सुभाष कोटनाला         | श्री दयाराम कोटनाला        |
| 13       | श्री संदीप कुमार           | श्री पूरण सिंह             |
| 14       | श्री अरविन्द कुमार         | श्री राजपाल सिंह           |
| 15       | श्री हर्षवर्धन             | श्री सोमदत्त शास्त्री      |

- 1 (ख). पात्रता सूची के अन्तर्गत सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित 08 कनिष्ठ अभियन्ताओं के गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण पदोन्नति हेतु इनके नाम पर विचार नहीं किया गया।

| क्रम सं० | जू०ई० (वि०/या०) का नाम     | पिता का नाम              |
|----------|----------------------------|--------------------------|
| 01       | 02                         | 03                       |
| 01       | श्री राजेन्द्र सिंह        | श्री हयात सिंह           |
| 02       | श्री रामकुमार शर्मा        | श्री एस०एन० शर्मा        |
| 03       | श्री दीप्ताशू पाण्डे       | श्री गिरीशचन्द्र पाण्डे  |
| 04       | श्री राजीव सिंह            | श्री जसदन्त सिंह         |
| 05       | श्री महेन्द्र सिंह         | श्री प्रहलाद सिंह        |
| 06       | श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा | श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा |
| 07       | श्री विजेन्द्र कुमार यादव  | श्री हरिओम यादव          |
| 08       | श्री आशीष धपलियाल          | श्री भुवनेश्वर प्रसाद    |

सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 54 पदों के सापेक्ष कार्यरत 23 कार्मिकों को घटाते हुए शेष 31 कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण पद रिक्त रखे गये हैं।


- 2 (क). पात्रता सूची के अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत 10 पदों के विरुद्ध निम्नलिखित 05 कनिष्ठ अभियन्ता (वि०याँ०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई। (रोस्टर क्रमांक-01, 06, 11, 16 एवं 21)

| क्रम सं० | जू०ई० (वि०/या०) का नाम | पिता का नाम        |
|----------|------------------------|--------------------|
| 01       | 02                     | 03                 |
| 01       | श्री दलीप कुमार        | श्री कुंवरपाल सिंह |
| 02       | श्री संदीप कुमार सिंह  | श्री रामकिशन सिंह  |
| 03       | श्री नमोन्द्र कुमार    | श्री बालस्वरूप     |
| 04       | श्री महेश कुमार        | श्री दूजभूषण लाल   |
| 05       | श्री रूपेश कुमार       | श्री तीरथ राम      |

- 2 (ख). पात्रता सूची के अन्तर्गत सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित 04 कनिष्ठ अभियन्ताओं के गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण पदोन्नति हेतु इनके नाम पर विचार नहीं किया गया। (रोस्टर क्रमांक-26, 31, 36 एवं 41)

| क्रम सं० | जू०ई० (वि०/या०) का नाम  | पिता का नाम       |
|----------|-------------------------|-------------------|
| 01       | 02                      | 03                |
| 01       | श्री अशोक कुमार         | श्री रामसागर राम  |
| 02       | श्री सजीव कुमार         | श्री धर्मपाल सिंह |
| 03       | श्री योगेन्द्र पाल सिंह | श्री महावीर सिंह  |
| 04       | श्री दिनेश कुमार        | श्री मामराज सिंह  |

कुल स्वीकृत 10 पदों के सापेक्ष कार्यरत 09 पदों में से घटाते हुए कुल शेष 01 पद पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त है।



- 3 (क). पात्रता सूची के अनुसूचित जनजाति वर्ग के 02 पदों के अन्तर्गत निम्नलिखित 01 कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यी०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०यी०) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई। (रोस्टर क्रमांक-24)

| क्रम सं० | जू०ई० (वि०/या०) का नाम | पिता का नाम         |
|----------|------------------------|---------------------|
| 01       | 02                     | 03                  |
| 01       | श्री सन्तोष सिंह       | श्री रामस्नेही सिंह |

- 3 (ख). पात्रता सूची के अन्तर्गत सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित 01 कनिष्ठ अभियन्ताओं के गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण पदोन्नति हेतु इनके नाम पर विचार नहीं किया गया। (रोस्टर क्रमांक-48)

| क्रम सं० | जू०ई० (वि०/या०) का नाम     | पिता का नाम              |
|----------|----------------------------|--------------------------|
| 01       | 02                         | 03                       |
| 01       | श्री विरेन्द्र सिंह पंचपाल | श्री कृष्ण चन्द्र पंचपाल |

4. सामान्य संवर्ग/अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत अतिरिक्त 250 (प्रतिशत) पैनल के अन्तर्गत कोई पात्र कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण किसी कार्मिक का चयन नहीं किया गया।

उक्त चयन वर्ष 2011-2012 (दिनोंक 01.07.2011 से 30.06.2012) तक मान्य होगा।

इ० पी०के० शर्मा,  
अधिसासी अभियन्ता (कार्मिक)  
एवं संयोजक चयन समिति  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

इ० राजेश्वर प्रसाद,  
महाप्रबन्धक (प्रशासन)  
एवं सदस्य चयन समिति  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

इ० वी०पी० गर्ग,  
महाप्रबन्धक (मूजल सर्वेक्षण)  
एवं सदस्य चयन समिति  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

इ० एस०पी० सिंह,  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
एवं अध्यक्ष चयन समिति  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

कनिष्ठ अभियन्ता (वि०याँ०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 17/12/2011 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

कनिष्ठ अभियन्ता (वि०याँ०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में गठित चयन समिति की बैठक आहूत हुई, जिसमें चयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र सं० 335/गु०अ०(मु०) गो०अधि० सामान्य/11, दिनांक 14/12/2011 द्वारा चयन समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया था, जिनमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. इ० एस०पी० सिंह, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल - अध्यक्ष निगम, देहरादून।
2. इ० राजेश्वर प्रसाद, महाप्रबन्धक (प्रशासन), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, - सदस्य देहरादून।
3. इ० वी०सी० गर्ग, महाप्रबन्धक (भूजल सर्वेक्षण), उत्तराखण्ड पेयजल - सदस्य निगम, देहरादून।
4. इ० पी०के० गोयल, अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), उत्तराखण्ड पेयजल - संयोजक निगम, देहरादून।

चयन समिति के समक्ष निम्नलिखित अभिलेखों के साथ एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया:-

1. उत्तराखण्ड शासन (पेयजल अनुभाग) की अधिसूचना संख्या 2231/नौ-2(12अधि०)/2001, दिनांक 07.11.2002।
2. उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06-2 (92 अधि०)/2002 दिनांक 12.12.2006
3. राज्य अधीन सेवाओं में पदोन्नति द्वारा ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया संख्या 1801/कार्मिक-2/2002, दिनांक 23.06.2003
4. आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेश सं० 1144/का-2/2001 53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001
5. पदोन्नतियों में आरक्षण नीति के रोस्टर से सम्बन्धित शासनादेश सं० शासनादेश सं० 1455/कार्मिक-2/2001 दिनांक 31.08.2001
6. राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण के लिए पद आधारित रोस्टर संख्या 87/XXX(2)/2008, दिनांक 21 जनवरी, 2008
7. चयन वर्ष 2011-2012 में अपर सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के सम्भावित 33 रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र कनिष्ठ अभियन्ताओं की सामान्य सर्वग की पात्रता सूची।
8. वि०याँ० सर्वग के अन्तर्गत पात्रता सूची में अंकित नाम के समक्ष पात्र अभियन्ताओं के पिछले 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रकृति एवं अन्य सेवा विवरण।
9. पात्रता सूची में अंकित नाम के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रकृति/फोल्डर, अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अनुशासनिक जॉच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण।
10. कनिष्ठ अभियन्ता (वि०याँ०) की वरिष्ठता सूची सितम्बर-2010
11. शासनादेश संख्या 764/उन्तीस(1)/2011 (33अधि०)/2007, दिनांक 24.06.2011 के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011

के.डी.साहू

06/12/11

2

17/12/11

12. ज्ञाप संख्या 1468/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/04, दिनांक 02.07.2011
13. कार्यालय ज्ञाप संख्या 1730/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/05, दिनांक 23.07.2011
14. अपर सहायक अभियन्ता (वि०/या०) की कार्यरत सूची।

चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु पात्र कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/या०) संवर्ग से सम्बन्धित संलग्न सुसंगत समस्त अभिलेखों जिसमें 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की ब्राडशीट भी सम्मिलित हैं, का अध्ययन किया गया। अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठता के आधार पर चयन करने के लिए समिति के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा गया। चयन के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 479/XXX(2)/2009, दिनांक 08.07.2009 के क्रमांक-3(1) से 3(6) पर उल्लेखित ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया में उल्लेखित प्राविधानों के अनुरूप उपयुक्त पात्र कार्मिकों को चयन हेतु विचार किया गया।

कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/या०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०/या०) के पद पर निम्नलिखित पात्र कनिष्ठ अभियन्ता के नामों पर विचार किया :-

- 1 (क). पात्रता सूची के सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत 13 पदों के सापेक्ष निम्नलिखित 08 कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/या०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०/या०) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई।

| क्र सं० | जू०ई० (वि०/या०) का नाम     | पिता का नाम              |
|---------|----------------------------|--------------------------|
| 01      | 02                         | 03                       |
| 01      | श्री राजेन्द्र सिंह        | श्री हयात सिंह           |
| 02      | श्री रामकुमार शर्मा        | श्री एस०एन० शर्मा        |
| 03      | श्री दीप्तांशु पाण्डे      | श्री गिरीशचन्द्र पाण्डे  |
| 04      | श्री राजीव सिंह            | श्री जसवन्त सिंह         |
| 05      | श्री महेन्द्र सिंह         | श्री प्रहलाद सिंह        |
| 06      | श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा | श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा |
| 07      | श्री विजेन्द्र कुमार यादव  | श्री हरिओम यादव          |
| 08      | श्री आशीष थपलियाल          | श्री भुवनेश्वर प्रसाद    |

सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 54 पदों के सापेक्ष कार्यरत 21+8=29 को घटाते हुए शेष 25 कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण पद रिक्त रखे गये हैं।

- 2 (क). पात्रता सूची के अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत 05 रिक्त पदों के विरुद्ध निम्नलिखित 03 कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/या०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०/या०) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई। (रोस्टर क्रमांक-26, 31 एवं 36)

| क्र सं० | जू०ई० (वि०/या०) का नाम  | पिता का नाम       |
|---------|-------------------------|-------------------|
| 01      | 02                      | 03                |
| 01      | श्री सजीव कुमार         | श्री धर्मपाल सिंह |
| 02      | श्री योगेन्द्र पाल सिंह | श्री महावीर सिंह  |
| 03      | श्री दिनेश कुमार        | श्री मामराज सिंह  |

12/1/11

12/1/11

12/1/11

12/1/11



- 2 (ख). पात्रता सूची के अन्तर्गत सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित 01 कनिष्ठ अभियन्ताओं के गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण पदोन्नति हेतु इनके नाम पर विचार नहीं किया गया। (रोस्टर क्रमांक- 41)

| क्रम सं० | जू०ई० (वि०/या०) का नाम | पिता का नाम      |
|----------|------------------------|------------------|
| 01       | 02                     | 03               |
| 01       | श्री अशोक कुमार        | श्री रामसागर राम |

कुल स्वीकृत 10 पदों के सापेक्ष 05+03+01=09 पदों को घटाते हुए कुल शेष 01 पद पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त है। (रोस्टर क्रमांक-46)

3. पात्रता सूची के अनुसूचित जनजाति वर्ग के 01 पद के अन्तर्गत निम्नलिखित 01 कनिष्ठ अभियन्ता (वि०या०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०या०) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई। (रोस्टर क्रमांक-48)

| क्रम सं० | जू०ई० (वि०/या०) का नाम     | पिता का नाम              |
|----------|----------------------------|--------------------------|
| 01       | 02                         | 03                       |
| 01       | श्री विरेन्द्र सिंह पंचपाल | श्री कृष्ण चन्द्र पंचपाल |

4. सामान्य संवर्ग/अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत अतिरिक्त 50 प्रतिशत पैनल के अन्तर्गत कोई पात्र कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण किसी कार्मिक का चयन नहीं किया गया।

उक्त चयन वर्ष 2011-2012 (दिनांक 01.07.2011 से 30.06.2012) तक मान्य होगा।

इं० पी०के० गायल,  
अधिसासी अभियन्ता (कार्मिक)  
एवं संयोजक चयन समिति  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

इं० राजेश्वर प्रसाद,  
महाप्रबन्धक (प्रशासन)  
एवं सदस्य चयन समिति  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

इं० बी०सी० गर्ग,  
महाप्रबन्धक (मूजल सर्वेक्षण)  
एवं सदस्य चयन समिति  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

इं० एस०पी० सिंह,  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
एवं अध्यक्ष चयन समिति  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।



कार्यालय : 2678078  
: 2672404

फैक्स : 0135-2672337  
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

# उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 2100/अधि0अनु0 - अधि0 कनिष्ठ अभियन्ता (वि0यो0) 486 दिनांक 01/09/11

## // कार्यालय-ज्ञाप //

शासनादेश संख्या 765/उन्तीस(1)/2011-(33 अधि0) 2007, दिनांक 24.06.2011 तथा इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1468/प्रशासनिक अनुभाग - प्रबन्ध निदेशक आदेश/04, दिनांक 02.07.2011 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011' में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे मौलिक रूप से नियुक्ति निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता (वि0यो0) (वेतनमान रू0 9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 4200.00) जिन्होंने विभाग में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, ज्येष्ठता के आधार पर अपर सहायक अभियन्ता (वि0यो0) (वेतनमान रू0 9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 4800.00) के पद पर उक्त सेवाविनियमावली विभाग में दिनांक 02.07.2011 से प्रभावी होने की तिथि से उनके वर्तमान में कार्यरत कार्यालय में ही पदोन्नति आदेश एतद् द्वारा निर्गत किये जाते हैं।

1. अपर सहायक अभियन्ता (वि0यो0) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं अपर सहायक अभियन्ताओं के कर्तव्य एवं दायित्व समान होंगे तथा एक ही जॉब चार्ट के अधीन होंगे।
2. पदोन्नत कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति/तैनाती उनके वर्तमान कार्यालय में कार्यरत स्थानीय होने के कारण इन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।
3. पदोन्नत कर्मियों को पदोन्नत पद पर दिनांक 16.09.2011 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

| क्र0 सं0 | कनिष्ठअभि0 का नाम          | पिता / पति का नाम         | कार्यभार ग्रहण करने की तिथि | जन्मतिथि   | कार्यरत/पदोन्नत कार्यालय का नाम   |
|----------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| 01       | 02                         | 03                        | 04                          | 05         | 06                                |
| (क)      | सामान्य संवर्ग :-          |                           |                             |            |                                   |
| 01       | श्री विनय कुमार सरसेना     | श्री कृष्णा स्वरूप सरसेना | 20-11-1996                  | 01-07-1957 | नि0 एवं अनु0 इकाई (यो0), हरिद्वार |
| 02       | श्री जसप्रोत सिंह ओबराय    | श्री जोगेन्द्र सिंह ओबराय | 18-05-2005                  | 04-12-1976 | नि0ई0वि0यो0 दे0दून                |
| 03       | श्री चमन लाल               | श्री राजा राम             | 08-07-2005                  | 05-10-1981 | यो0शा0, दे0दून                    |
| 04       | श्री राजवीर सिंह           | स्व0 श्री गुमान सिंह      | 24-05-2005                  | 07-10-1969 | यो0शा0, कोटद्वार                  |
| 05       | श्री नवीन चन्द्र शिष्ट     | श्री प्रेमसिंह शिष्ट      | 26-08-2005                  | 06-02-1983 | यो0शा0, दे0दून                    |
| 06       | श्री जितेन्द्र बल्लभ शर्मा | श्री गोविन्द बल्लभ शर्मा  | 23-08-2005                  | 05-07-1973 | प्रधान कार्यालय, दे0दून           |
| 07       | श्री अरविन्द सिंह          | श्री लक्ष्मण सिंह         | 20-08-2005                  | 25-06-1979 | यो0त्रिक इकाई हल्द्वानी           |
| 08       | श्री प्रमोद कुमार          | श्री महेश चन्द्र रस्तोगी  | 23-08-2005                  | 01-07-1973 | यो0शा0, देहरादून                  |
| 09       | श्री आशीष कुमार            | श्री ब्रह्मपाल सिंह       | 25-08-2005                  | 01-01-1981 | नि0ई0वि0यो0 दे0दून                |
| 10       | श्री दिनेश चन्द्र          | श्री मोहन चन्द्र          | 22-08-2005                  | 31-01-1979 | नि0 एवं अनु0 इकाई (यो0), हरिद्वार |

"जल संचय-जीवन संचय" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाईये।"  
वैधानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।

(2)

(18)

2

| क्र० सं० | कनि०अभि० का नाम                | पिता / पति का नाम      | कार्यभार ग्रहण करने की तिथि | जन्मतिथि   | वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम   |
|----------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| 11       | श्री विकास कुमार               | श्री इलमचन्द्र         | 23-08-2005                  | 05-05-1975 | यॉ०शा०, कोटद्वार                  |
| 12       | श्री सुभाष कोटनाला             | श्री दयाराम कोटनाला    | 28-03-2006                  | 01-04-1982 | यॉ०शा०, कोटद्वार                  |
| 13       | श्री संदीप कुमार               | श्री पूरण सिंह         | 17-08-2005                  | 28-04-1982 | यॉ०शा०, हल्द्वानी                 |
| 14       | श्री अरविन्द कुमार             | श्री राजपाल सिंह       | 22-08-2005                  | 10-07-1979 | यॉ०शा०, कोटद्वार                  |
| 15       | श्री हर्षवर्धन                 | श्री सोमदत्ता शास्त्री | 02-01-2006                  | 30-01-1972 | यॉ०शा०, देहरादून                  |
| (ख)      | <u>अनुसूचित जाति वर्ग :-</u>   |                        |                             |            |                                   |
| 01       | श्री दलीप कुमार                | श्री कुंवरपाल सिंह     | 24-05-2005                  | 01-10-1977 | नि० एवं अनु० इकाई (यॉ०), हरिद्वार |
| 02       | श्री संदीप कुमार सिंह          | श्री रामकिशन सिंह      | 20-05-2005                  | 26-02-1982 | यॉ०शा०, हल्द्वानी                 |
| 03       | श्री नमोद कुमार                | श्री बालस्वरूप         | 19-05-2005                  | 02-10-1978 | यॉ०शा०, दे०दून                    |
| 04       | श्री महेश कुमार                | श्री वृजभूषण लाल       | 06-07-2005                  | 04-04-1976 | यॉ०शा०, कोटद्वार                  |
| 05       | श्री रूपेश कुमार               | श्री तीरथ राम          | 05-09-2005                  | 02-07-1982 | यॉ०शा०, हल्द्वानी                 |
| (ग)      | <u>अनुसूचित जनजाति वर्ग :-</u> |                        |                             |            |                                   |
| 01       | श्री सन्तोष सिंह               | श्री रामस्नेही सिंह    | 14-10-2005                  | 02-08-1979 | यॉ०शा०, हल्द्वानी                 |

(एस०पी० सिंह)

ok मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पु०सं० एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमाऊं), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. अध्यक्ष/महामंत्री, डिप्लोमा इंजीनियर्स संगठन, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. अधिष्ठान अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

01 महाप्रबन्धक (भजल/सर्वेक्षण)



कार्यालय : 2678078  
: 2672404

फैक्स : 0135-2672329  
ई-मेल : upswnn@gmail.com

# उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 2833 / अधि०अनु० - अधि० कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यॉ०) / 532 दिनांक 23 / 12 / 11

## // कार्यालय-ज्ञाप //

शासनादेश संख्या 765/उन्तीस(1)/2011-(33 अधि०) 2007, दिनांक 24.06.2011 तथा इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1468/प्रशासनिक अनुभाग - प्रबन्ध निदेशक आदेश/04, दिनांक 02.07.2011 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे मौलिक रूप से नियुक्ति निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता (वि०यॉ०) (वेतनमान रू० 9300-34800, ग्रेड वेतन रू० 4200.00) जिन्होंने विभाग में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, ज्येष्ठता के आधार पर अपर सहायक अभियन्ता (वि०यॉ०) (वेतनमान रू० 9300-34800, ग्रेड वेतन रू० 4800.00) के पद पर उनके वर्तमान तैनाती कार्यालय में ही पदोन्नति आदेश एतद् द्वारा निर्गत किये जाते हैं।

1. अपर सहायक अभियन्ता (वि०यॉ०) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं अपर सहायक अभियन्ताओं के कर्तव्य एवं दायित्व समान होंगे तथा एक ही जाँच चार्ट के अधीन होंगे।
2. पदोन्नत कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति/तैनाती उनके वर्तमान कार्यालय में कार्यरत स्थानीय होने के कारण इन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।
3. पदोन्नत कर्मियों को पदोन्नत पद पर दिनांक 30.12.2011 तक प्रत्येक दश में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

| क्र० सं० | कनि०अधि० का नाम            | पिता/पति का नाम          | कार्यरत/पदोन्नत कार्यालय का नाम          |
|----------|----------------------------|--------------------------|--|
| 01       | 02                         | 03                       | 04                                       |
| (क)      | सामान्य संवर्ग :-          |                          |  |
| 01       | श्री राजेन्द्र सिंह        | श्री हयात सिंह           | यंत्रिक शाखा, अल्मोड़ा                   |
| 02       | श्री रामकुमार शर्मा        | श्री एस०एन० शर्मा        | यंत्रिक शाखा, अल्मोड़ा                   |
| 03       | श्री दीपाशू पाण्डे         | श्री गिरीशचन्द्र पाण्डे  | निर्माण इकाई (यंत्रिक), इल्दानी          |
| 04       | श्री राजीव सिंह            | श्री जसवन्त सिंह         | यंत्रिक शाखा, कोटद्वार                   |
| 05       | श्री महेन्द्र सिंह         | श्री प्रहलाद सिंह        | यंत्रिक शाखा, अल्मोड़ा                   |
| 06       | श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा | श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा | नि० एवं अनु० इकाई (गंगा) (यॉ०), हरिद्वार |
| 07       | श्री विजेन्द्र कुमार यादव  | श्री हरिओम यादव          | ए०डी०बी०, नैनीताल                        |
| 08       | श्री आशीष थपलियाल          | श्री भुवनेश्वर प्रसाद    | यंत्रिक शाखा, अल्मोड़ा                   |

"जल संचय-जीवन संचय" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइयें।"  
वैधानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।


| क्र० सं० | कनि०अभि० का नाम            | पिता/पति का नाम          | कार्यरत/पदोन्नत कार्यालय का नाम          |
|----------|----------------------------|--------------------------|--|
| 01       | 02                         | 03                       | 04                                       |
| (ख)      | अनुसूचित जाति वर्ग :-      |                          |  |
| 01       | श्री संजीव कुमार           | श्री धर्मपाल सिंह        | नि० एवं अनु० इकाई (गंगा) (यौ०), हरिद्वार |
| 02       | श्री योगेन्द्र पाल सिंह    | श्री महावीर सिंह         | निर्माण इकाई (यौत्रिक), देहरादून         |
| 03       | श्री दिनेश कुमार           | श्री मानराज सिंह         | निर्माण इकाई (यौत्रिक), हल्द्वानी        |
| (ग)      | अनुसूचित जनजाति वर्ग :-    |                          |  |
| 01       | श्री विरेन्द्र सिंह पंचपाल | श्री कृष्ण चन्द्र पंचपाल | यौत्रिक शाखा, देहरादून                   |

  
 (एसओपीओ सिंह)  
 मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- वैयक्तिक अधिकारी, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमाऊँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
- मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
- अध्यक्ष/महामंत्री, डिप्लोमा इंजीनियर्स संगठन, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- अधिष्ठान अनुभाग।
- गार्ड फाईल।

  
 महाप्रबन्धक, (गढ़वाल/सर्वेक्षण)  
 ग/क